

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 57 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. अरुण तिवारी पुत्र विशम्भर दयाल तिवारी (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी 419, देवीपुरा रोड़, जिलक नगर, वार्ड नम्बर 25, जिला सीकर- 332001।
यहां भी
अरुण तिवारी पुत्र विशम्भर दयाल तिवारी
प्लॉट एट खसरा नम्बर 2612/2, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. किरण तिवारी पत्नी अरुण कुमार (सहऋणी)
निवासी 1014, तिलक नगर, जिला सीकर- 332001 राज.।
3. अभिषेक तिवारी पुत्र अरुण कुमार (सहऋणी)
निवासी 1014, तिलक नगर, वार्ड नम्बर 25, जिला सीकर- 332001 राज.।

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.




निर्णय

निर्णय दिनांक: 30 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री अरविन्द थालौड़ द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण अरुण तिवारी, किरण तिवारी, अभिषेक तिवारी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पति प्लॉट एट खसरा नम्बर 2612/2, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज. जिसका नाप 2500 वर्गमीटर मालिकाना हक अरुण तिवारी जिसकी चारों दिशाएं इस प्रकार से हैं - पूर्व में रोड़ 30 फीट वाईड, पश्चिम में रोड़ 30 फीट वाईड, उत्तर में खसरा नम्बर 2612/2, दक्षिण में खसरा नम्बर 2612/3 को बंधक रखकर 27,00,000/-रूपये (अक्षरे रूपये सताईस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी


1


(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से अधिवक्ता सुश्री सुनिता कुमारी ने वकालतनामा पेश आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 19.04.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (बादवूसमकहमउमदज) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण अरुण तिवारी, किरण तिवारी, अभिषेक तिवारी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक प्लॉट एट खसरा नम्बर 2612/2, एट ग्राम शिश्यु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज. जिसका नाप 2500 वर्गमीटर मालिकाना हक अरुण तिवारी जिसकी चारों दिशाएं इस प्रकार से हैं – पूर्व में रोड़ 30 फीट वाईड, पश्चिम में रोड़ 30 फीट वाईड, उत्तर में खसरा नम्बर 2612/2, दक्षिण में खसरा नम्बर 2612/3 का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 30 अक्टूबर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)